राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 326/2013
कैलाश चन्द जैन

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उप शासन सचिव सह निदेशक, अभियोजन, गृह विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, कोटा, राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 23.02.2024

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री रूद्राक्ष शर्मा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 25.07.2012 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलार्थी की ओर से यह तथ्य अंकित किये गये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 23.06.1986 के द्वारा सहायक लोक अभियोजक ग्रेड–।। के पद पर की गई। इसके पश्चात अपीलार्थी एपीपी ग्रेड–। के पद से दिनांक 31.05.2008 को सेवानिवृत्त हो गया। सेवा के दौरान अपीलार्थी की केवल एक पदोन्नति एपीपी ग्रेड–।। से एपीपी ग्रेड–। के पद पर वर्ष 1994 में हुई थी। इस कारण से अपीलार्थी चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। यह भी तथ्य अंकित किये गये हैं कि दिनांक 15.10.2001 को विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की गई, जिसमें अपीलार्थी की एक वार्षिक वेतन वृद्धि अंसचयी प्रभाव से रोके जाने के आदेश पारित किये गये। उक्त आदेश के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत की गई जो प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निर्णित नहीं की गई। अपीलार्थी के विरूद्ध एक अन्य दण्डादेश दिनांक 30.05.2003 को पारित किया गया, जिसमें अपीलार्थी के विरूद्ध एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के आदेश पारित किये गये। अपीलार्थी को द्वितीय एवं तृतीय एसीपी का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, जो 10, 20 एवं 30 वर्ष की सेवा पर दिया जाता है। यह भी तथ्य अंकित किये गये हैं कि अपीलार्थी

के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें अपीलार्थी को आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है और अपीलार्थी के निलम्बन अवधि को सभी प्रयोजनार्थ सेवाकाल में माने जाने को निलम्बन काल के बकाया वेतन भत्तों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इसके बाद भी अपीलार्थी को द्वितीय एवं तृतीय एसीपी का लाभ प्रदान नहीं किया गया है।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी पदोन्नत होकर सहायक लोक अभियोजक बन गया था जो कि राजस्थान अभियोजन राज्य सेवा का पद है, राज्य सेवा के पदों हेतु दिनांक 01.01.2006 से 10, 20 व 30 वर्षीय एसीपी का लाभ देय है। नियमानुसार वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने हेतु एक बार पदोन्नति से रोका जाता है इसी प्रकार वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों में प्रतिकूल प्रविष्टियों के लिये प्रत्येक वर्ष एक बार पदोन्नति से रोका जाता है। कार्मिक विभाग के परिपत्र की फोटो प्रति जवाब के साथ संलग्न है। राजपत्रित अधिकारियों को ए.सी.पी. दिनांक 1–1–2006 से प्रथम बार दिये जाने के आदेश हैं। अपीलार्थी के चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. स्वीकृति के सम्बन्ध में विवरण इस प्रकार से है कि:–

क्र.सं.	विवरण	दिनांक
1.	प्रथम नियुक्ति दिनांक	24.05.1976
2.	प्रथम चयनित वेतनमान स्वीकृति दिनांक	25.01.1992
3	सहायक लोक अभियोजक के पद पर पदोन्नति दिनांक नोट– राज्य सेवा का पद है अतः द्वितीय व तृतीय चयनित वेतनमान देय नहीं है।	27.06.1994
4.	(1) ए.सी.पी. स्कीम दिनांक 1–1–06 से राज्य सेवा के अधिकारियों को 10, 20 व 30 वर्ष की सन्तोषप्रद सेवा पर देय है। (2) ए.सी.पी. स्कीम दिनांक 1–1–06 से राज्य सेवा के अधिकारियों को 10, 20 व 30 वर्ष की सन्तोषप्रद सेवा पर देय है । (3)– ए.सी.पी. स्कीम दिनांक 1–1–06 से राज्य सेवा के अधिकारियों को 10, 20 व 30 वर्ष की सन्तोषप्रद सेवा पर देय है ।	दण्डादेश दिनांक 15–10–01 प्रभाव से एक देय नहीं है। के वर्ष एसीआर. 2001–02 वर्ष में प्रतिकूल प्रविष्ठियों के कारण एक वर्ष देय नहीं है। इन दण्डों के अलावा अपीलार्थी के वा.का.मू. प्रतिवेदनों में वर्ष 2002–03 में भी कुप्रविष्टियां है एवं आदेश दिनांक 30–5–03

		के द्वारा भी एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया था। उक्त के फलस्वरूप एसीपी. का लाभ चार वर्ष पश्चात् देय होता है किन्तु अपीलार्थी दिनांक 31–5–2008 को सेवानिवृत्त हो गया है, इस अपीलार्थी कारण को एसीपी. का लाभ देय नहीं है ।

दो दण्डादेश व दो वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रत्येक वर्ष विचार किए जाने पर अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति से पूर्व एसीपी देय नहीं है।

3. हमनें दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

4. अपीलार्थी का यह तथ्य रहा है कि अपीलार्थी की 20 वर्ष की सेवा वर्ष 1996 में पूरी हो गई थी और उस दिनांक तक अपीलार्थी के विरूद्ध न कोई दण्डादेश था और न ही उसके विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित थी। ऐसे में वर्ष 1996 में 20 वर्ष की सेवा पूरी होने पर अपीलार्थी को द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ देय था। उनका यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी की 30 वर्ष की सेवा वर्ष 2006 में पूरी हुई थी। केवलमात्र कार्यमुल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने के आधार पर पदोन्नति रोके जाने का कोई आधार नहीं हैं। इस कारण से अपीलार्थी को देय तृतीय एसीपी का लाभ भी नहीं रोका जा सकता है। अपीलार्थी की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के प्रकरण 2015(5) WLC (Raj.) 439 Duli Chand Gurjar Versus The Nuclear Power Corporation Of India LTD. & ORS. प्रस्तुत किया है, जिसमें यह माना गया है कि याची को आरोप पत्र 24 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने और 26.09.2007 को स्कीम के अन्तर्गत अर्ह हो जाने के पश्चात निर्गत की गई उस तिथि तक कोई आरोप–पत्र निर्गत नहीं हुआ–उक्त आरोप–पत्र याची को द्वितीय चयनमान दिये जाने में बाधक नहीं होगा।

5. इस प्रकरण में अपीलार्थी की 20 वर्ष की सेवाएं वर्ष 1996 में पूरी हो गई थी। अपीलार्थी के विरूद्ध जो दण्डादेश एवं प्रतिकूल प्रविष्टियां बताई गई है, वह वर्ष 2001 एवं उसके पश्चात की है। ऐसे में जब अपीलार्थी ने 20 वर्ष की सेवाएं पूर्ण कर ली थी, तब तक उसके विरूद्ध न तो कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी और न ही अपीलार्थी के सेवाभिलेख में कोई प्रतिकूल प्रविष्टियां थी। ऐसे में अपीलार्थी को 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर देय चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने में कोई बाधा नहीं थी। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के प्रकरण 2015(5) WLC (Raj.) 439 Duli Chand Gurjar Versus The Nuclear Power Corporation Of India LTD. & ORS. में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया हैः—

> "11. Thus, the only question that survives is as to whether the office memorandum dated 14.9.1992 shall come in the way of the grant of second Selection Grade as the charge-sheet had already been issued on the date when the DPC was held? The said issue is answered by the learned Single Judge of this Court in the case of Kailash Chand Sharma Vs. State of Rajasthan and Others,
>
> "6. Coming now to question of grant of selection scales to petitioner on completion of 9, 18 and 27 years of service, I find that petitioner was initially appointed as Stock Assistant in the year 1964 and by the time the Government Circular dated 25.01.1992 was issued, he had already completed 27 years of service; in other words, all three selection scales became due to him on completion of 9, 18 and 27 years of service on 25.01.1992 itself, but for the above referred adverse remarks and penalty. The action of respondents in deferring all the three selection scales by five years cannot be held to be justified. In so far as first two selection scales i.e. on completion of 9 and 18 years of service are concerned, the period in which the same became due to the petitioner, none of the five adversities, referred to above, were falling in those two spells. The period of four adverse remarks in the APARs of petitioner come within the period of 1988-89, 1989-90, 1990-91 and 1991-92 and the penalty of stoppage of one grade increment was also awarded to him by order dated 09.03.1989. All such five adversities thus fall within the period of nine years starting from 18 to 27 years and therefore they could have effect only in delaying grant of third selection scale to petitioner in terms of the provisions contained in the Government Circular dated 25.01.1992, and not for grant of all three selection scales. The said Circular provides that grant of selection scales would be depending on satisfactory service of government servant concerned. But then that satisfactory service would be computed only for the period/span of 9 years for which the employer was not able to grant promotion to the employee and in order to remove the stagnation for such span of nine years, the employee has to be compensated by grant of selection scale."

12. Similarly, another Single Bench of this Court in the case of Uma Shanker Kiradu Vs. State and Ors. (S.B. Civil Writ Petition No. 926/2011), decided on 11.1.2012 held in no uncertain terms that the Departmental Promotion Committee can only be taken into consideration the material existing and available upto the last date of the vacancy year. Any adverse material that came into notice subsequently after the said date when the said vacancy arose cannot be taken into consideration while considering the person for promotion against the vacancy of the said year. It was held thus:-

"The Departmental Promotion Committee while considering candidature of the petitioner for promotion to the post of Principal would have considered the material existing and available, relating to the petitioner, up to 31.3.2002 that is the last day of the vacancy year-2001-2002. Any adverse material4 SBCWP No. 926/2011 Uma Shanker Kiradu Vs. State and Ors. that came into being subsequent to the date aforesaid, could not have been taken into consideration by the Departmental Promotion Committee while examining candidature of the petitioner for the purpose of promotion against the vacancies of the year 2001-2002. Whatever material that is taken into consideration by the Departmental Promotion Committee to keep the recommendation of the DPC in sealed cover came in existence subsequent to 31.3.2002, as such, that has been erroneously taken into consideration by the Departmental Promotion Committee that met on 07.3.2008. In such circumstances, placement of the recommendations of the Departmental Promotion Committee in sealed cover relating to the promotion of the petitioner to the post of Principal, Senior Secondary School from the post of Head Master, Secondary School is not in accordance with law."

13. Applying the same analogy in the facts of the present case, the petitioner became eligible for the grant of the second Financial Upgradation w.e.f. 26.9.2007 under the ACP Scheme. No charge-sheet was issued against him on the said date. The charge-sheet was issued subsequently. As per the aforesaid judgments, disciplinary proceedings are treated to commence after the issuance of charge-sheet. Under the said ACP Scheme, the employees are entitled to the upgradation after completion of 10 years and 24 years of regular service in lieu of such promotion. Although it is not an alternative of regular promotion but it is a method to meet hardship faced by employees due to lack of promotional avenues. There being no charge-sheet against the petitioner on the date he became eligible for the selection grade, any subsequent charge-sheet cannot come in the way of the grant of selection grade for the said period.

14. In view of the above, the writ petition is allowed. The respondents are directed to grant the second Financial Upgradation under the ACP Scheme due to the petitioner after completion of 24 years of service i.e. on 26.9.2007 within a period of two months from the date of receipt of the copy of the order."

6. अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से स्पष्ट है कि अपीलार्थी जब द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी हुआ था, तब तक अपीलार्थी के

सेवाभिलेख में कोई प्रतिकूल प्रविष्टियां नहीं थी और न ही अपीलार्थी को कोई दण्डादेश दिया गया था। ऐसे में अपीलार्थी का देय द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ रोका जाना उचित नहीं है। जहां तक अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने का प्रश्न है तो अपीलार्थी तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ वर्ष 2006 से प्राप्त करने का अधिकारी है, परंतु अपीलार्थी के विरूद्ध उस समय दो प्रतिकूल प्रविष्टियां एवं दो दण्डादेश थे। अतः अपीलार्थी के दण्डों एवं प्रतिकूल प्रविष्टियों का प्रभाव चार वर्ष तक रहने और इस अवधि से पूर्व ही अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति हो जाने के कारण अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ देय नहीं होना माना जा सकता है।

7. परिणामस्वरूप यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ उसे नियमानुसार देय दिनांक से दिया जाए। अपीलार्थी को समस्त पारिणामिक लाभ भी प्रदान किये जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)